

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1763/2015/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त-द्वितीय, जयपुर।  
बनाम

.....अपीलार्थी

मैसर्स विशाल रिटेल लिमिटेड,  
1 लक्ष्मी निवास, अजमेर रोड,  
पेट्रोल पम्प के पास, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री एन.के.बैद,  
उप राजकीय अधिवक्ता  
श्री एस.के.जैन, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से  
.....प्रत्यर्थी व्यवसायी की ओर से  
निर्णय दिनांक : 14/12/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 360/अपील्स-I/आरवीएटी/जयपुर/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 16.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त-द्वितीय, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2013 के जरिये रूपये 27,65,171/- में आरोपित मांग राशि को अपास्त किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रतिकरापवंचन वृत्त के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवसायी का वर्ष 2008-09 का कर निर्धारण दिनांक 20.12.2010 को पारित किया गया था। प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत वैट ऑडिट रिपोर्ट के पार्ट तृतीय में कुल खरीद रूपये 13,36,94,332/- दर्शायी गई थी, जबकि पार्ट चतुर्थ में आईटीसी प्राप्ति हेतु खरीद रूपये 15,11,83,561/- बताई गई थी, जिसमें पार्ट चतुर्थ में दर्शाई गई खरीद का पूर्ण सत्यापन कर तदनुसार, आईटीसी क्रेडिट दी गई, परन्तु बाद में ऑडिट आक्षेप के आधार पर उक्त कर निर्धारण आदेश को रीओपन करते हुए एकपक्षीय आदेश दिनांक 31.12.2013 को पारित कर पार्ट तृतीय में अंकित राशि को मानकर रूपये 1,74,89,229/- पर गलत आईटीसी लेना अवधारित कर रूपये 16,96,424/- की आईटीसी को रिवर्स किया गया उस पर ब्याज रूपये 10,68,747/- भी आरोपित किया गया। प्रत्यर्थी व्यवसायी ने कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.12.2013 में संशोधन हेतु अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश किया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 33 में विहित प्रावधानों से आच्छादित नहीं मानकर आदेश दिनांक 17.07.2014 द्वारा प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 31.12.2013 एवं 17.07.2014 के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील

लगातार.....2

प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने अपीलार्थी आदेश दिनांक 16.06.2015 द्वारा अपील स्वीकार कर दोनों आदेशों को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी का आलौच्य अवधि का पुनः कर निर्धारण दिनांक 31.12.2013 विधिसम्मत रूप से पारित किया गया था, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के पार्ट तृतीय में जो खरीद राशि बताई थी उसी अनुसार आईटीसी देते हुए अवशेष राशि रिवर्स की थी। अतः कर निर्धारण आदेश पुनः बहाल करने एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट एवं कर निर्धारण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जांच के पश्चात् जो आदेश पारित किया गया था उसमें कोई त्रुटि नहीं थी, क्योंकि उस आदेश में पूर्ण जांच कर रुपये 7,08,629/- पर क्लेम की गई आईटीसी को रुपये 51,105/- एवं खरीद वापसी रुपये 3,38,429/- की आईटीसी को भी रिवर्स किया गया था। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवल मात्र ऑडिट पैरा के आधार पर जो कर व ब्याज लगाया गया है वह विधिविरुद्ध है। इसके पश्चात् प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 10.02.2014 को संशोधन प्रार्थना पत्र धारा 33 के तहत प्रस्तुत किया गया था। जिसको प्रावधानों से आच्छादित नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया जबकि यह प्रकरण रिकार्ड की स्पष्ट भूल की परिधि में आता है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का प्रथम बार सर्वेक्षण दिनांक 12.03.2010 को किये जाने के पश्चात् अधिनियम की धारा 25 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.08.2010 को किया गया था। उसके पश्चात् प्रतिकरापवंचन के सक्षम अधिकारी द्वारा पूरे वर्ष का कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.12.2010 को पारित किया गया। उस आदेश के अध्ययन पर स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी की बहियात की पूर्ण जांच की गई थी एवं रुपये 15.11 करोड की खरीद में से जिस आईटीसी का सत्यापन नहीं हुआ उस सीमा तक आईटीसी रिवर्स भी की गई इससे यह प्रमाणित है कि दिनांक 20.12.2010 के आदेश में व्यवसायी की पूरी खरीद को बहियात से सत्यापित कर आईटीसी प्रदान की गई थी एवं खरीद राशि का पूर्ण सत्यापन किया गया था। ऑडिट आक्षेप द्वारा केवल यह बताया गया कि ऑडिट रिपोर्ट के दो पार्ट में अलग-अलग राशि अंकित है अतः कम राशि पर आईटीसी दी जावे, जबकि कर निर्धारण करते समय लेखा पुस्तकों में प्रविष्ट संव्यवहारों को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है। यह कर निर्धारण अधिकारी का कार्य है कि वह बहियात की जांच कर वास्तविक ऑकड़ों अनुसार आदेश पारित





करे। इस प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि व्यवहारी का पहले सर्वेक्षण किया गया था एवं धारा 25 में आदेश पारित किया गया जो बहियात के आधार पर दिनांक 26.08.2010 को किया गया। उसके पश्चात् पूरे वर्ष का कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 24 के तहत पुनः पूर्ण जांच कर दिनांक 20.10.2010 को पारित किया गया जिसमें प्रत्येक बिल वाईज विवरण अंकित कर कुछ आईटीसी रिवर्स भी की गई। इस तरह लेखा पुस्तकों के अनुसार जो कर निर्धारण दो बार पारित किया गया उन्हें केवल इस आधार पर पुनः खोला गया कि ऑडिट रिपोर्ट में अलग-अलग पार्ट पर अलग राशि अंकित थी, जबकि दिनांक 20.12.2010 को बहियात की जांच कर आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधिक है क्योंकि कर निर्धारण का मूल आधार बहियात है यदि ऑडिट रिपोर्ट में कम विक्रय लिख दिया जावे तब भी "कर निर्धारण" बहियात में अंकित वास्तविक बिक्री से ही किया जायेगा। इस तरह केवल ऑडिट आक्षेप द्वारा अलग अलग आंकड़ों के अंकन ध्यान में लाने के आधार पर, जो पुनः आदेश पारित किया गया है वह विधि के विरुद्ध है। उक्त विवादित आदेश में यह निर्णय लेना कि व्यवहारी ने 15 करोड की जगह 13 करोड की ही खरीद की है हास्यास्पद है क्योंकि पूर्व के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई खरीद का पूरा सत्यापन किया हुआ है उस अधिकारी के आदेश को गलत ठहराने का कोई आधार नहीं था बल्कि बिना तथ्यों के नया आदेश पारित कर दिया गया जो धारा 26 के तहत अनुज्ञेय भी नहीं है क्योंकि बिना किसी नये तथ्यों के ही धारा 26 में एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है।

7. यह टिप्पणी करना भी उचित समझते हैं कि इस प्रकरण में जहां बिना कारण आदेश को पुनः खोलकर धारा 26 में आदेश पारित कर दिया गया वही धारा 33 के आवेदन को बिना कारण अस्वीकार भी कर दिया। इस तरह दोनों विवादित आदेश विधि एवं न्याय के विरुद्ध पारित किये गये हैं, जबकि तथ्यात्मक रूप से पूर्ण जांच के बाद पारित किया गया आदेश 20.12.2010 त्रुटि रहित आदेश था।

8. उक्त टिप्पणी के साथ अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपील आधारहीन मानते हुए खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)  
सदस्य

  
(कै.एल.जैन)  
सदस्य